अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

158/2020/225 प्रताप v/s श्रीमती झमकू देवी

तारीख पेशी	2020/00158 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री राधेश्याम लखकार एड. श्री मुकेश चौधरी, मदनलाल गुर्जर	
14.09.20	प्रताप वगैरह बनाम श्रीमती झमकू देवी वगैरह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गयी। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पुत्र–पुत्रियों रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 10 के द्वारा एक वाद उनवानी कानाराम बनाम भंवरलाल ने उपखण्ड अधिकारी, दूदू के यहॉ अपने पिता भैरूलाल का 1/3 हिस्सा विवादित भूमि में होने के आधार पर घोषणा का वाद पेश किया गया था जिसके साथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज किया गया जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादीया के पुत्र–पुत्रियों की ओर से न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.08.2020 को खारिज कर दिया है इसके पश्चात वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने तथ्यों को छुपाते हुए पूर्व में अपने पति भैरूलाल का प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिसे के बाबत् वाद विचाराधीन होने व स्थगन आदेश की अपील न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय हो जाने के पश्चात पुनः उसी आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादिया के द्वारा अपने पति भैरूलाल का प्रश्नगत भूमि में से 1/3 हिस्सा होने के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत कर पूर्व में प्रस्तुत वाद व आदेशों/निर्णयों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहॉ वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर एक तरफा स्थगन अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त कर लिया जो विधि विरूद्ध एवं तथ्यों को छिपाते हुए प्राप्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई स्पष्ट निष्कर्ष व्यक्त नहीं किएं है, वरन् यह अंकित करते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण में टी.आई दिया जाना उचित प्रतीत होता है का अंकन करते हुए स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है, जो न्याय नियम व कानून के विपरीत है चुँकि अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है न ही किसी प्रकार राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक अधिकारों का उपयोग नहीं किया है एवं निर्णय करने में कानूनी भूल की है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण/अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2020 की क्रियान्विति स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र (प्राथमिक आपत्ति) निवेदन किया कि अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) आदेश दिनांक 02.09.2020 के विरूद्ध पेश की है, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जानेके साथ अप्रार्थीगण को ग्राम सुनाड़िया की विवादित आराजी बाबत् राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये है, जो अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्ध यह अपील संधारण योग्य ही नही है क्योंकि अन्तरिम आदेश की अपील है। यदि न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि का बेंचान कर देगे जिससे प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थीगण/अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अभिभाषक	

अपील प्राधिकारी

FORM NO III | **APP-A**
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रताप —— बनाम —— झमकू देवी

किस्म मुकदमा 225 R.T. Act नम्बर 158/2020 सन् 2020 (इ)

2020/00158

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री राधेश्याम लखारा ए. श्री मुकेश चौधरी, मदनलाल गुर्जर	
02/11/2020	अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1082, आर.आर.डी. दिसम्बर 2002 पेज 744 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये है। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.09.2020 आदेश दिये गये कि "विवादित आराजी वाकै ग्राम सुनाड़िया तहसील दूदू की राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें/चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीया को दिनांक 06.10.2020 को अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावें"। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखना चाहिए था। यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बाद साक्ष्य एवं सुनवाई के द्वारा किया जाना है। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण मे अपीलांट को दिनांक 06.10.2020 को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को गुणावगुण पर आवश्यक रूप से निर्णित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	